

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उव-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 495] नई विहती, सोमवार, नवम्बर 12, 1990/कात्तिक 21, 1912 No. 495] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 12, 1990/KARTIKA 21, 1912

इ.स. भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा समें

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भतल परिवहन मंवालय

(पत्तन पक्ष)

ग्रधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्त्रर, 1990

सा. का.नि. 902(म्र).—केन्द्र सरकार, महापत्तन त्याम म्रधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठिन धारा 124 की उपघारा (1) द्वारा प्रदत्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए, कांडला पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस म्रधिसूचना के साथ संलग्न म्रनुसूची में कांडला पोर्ट कर्मचारी (ग्रस्थायी सेवा) संगोधन विनि-यम, 1990 का म्रनुमोदन करती है।

3027 GI/90

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PAR1 II—SEC. 3(i)]

2 उना मिनियम, इस अबिसूतमा के सरप्राती राजपत में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

> [फा. सं. पी. ग्रार.-12012/24/90-पी.ई.-I] अशोंक जोशी, संयुक्त सचिव

ग्रन्सूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 के अन्सरण में कांडला पोर्ट का न्यासी मंडल उक्त अधिनियम की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्राप्तेग करने हुए एतद्-द्वारा कांडला पोर्ट कर्मचारी (अस्थायी सेवा) विनिधम, 1964 में किए गए निम्नलिखित संशोधन विनिथम प्रकाशित करता है, अर्थात्:--

- (1) ये विनियम कांडला पोर्ट कर्मचारी (ग्रस्थावी सेवा) संणोधन विनियम, 1990 कहे जायेंगे।
- (2) विनियम 2(4) और 2(5) हटा दिए जाएं ओर विनियम 2 के उपविनियम
 (6) तथा (7) को कमण: (4) और (5) के रूप में पुनः अंकित किया जाए।
- (3) विनियम 3 तथा 4 हटा दिए जाएं।

2

- (4) (1) विनियम 5 में "ऐंगे कर्मचारियों को सेवा समाप्ति, जो स्थायीवृत सेवा में नहीं है", सामक शीर्ष का प्रतिस्थापन "ग्रस्थायी कमचारियों की सेवा समाप्ति" से किया जाए।
 - (2) विनियम 5(क) के प्रधीन ग्राने वाले ''जो स्थायीवृत्त सेवा में नहीं हैं'' शब्दों को हटा दिया जाए।
 - (3) विनियम 5 को 3 के रूप में पुनः अंकित किया जाए।
- (5) विनिथम 6 को 4 के रूप में पुनः अंकिन किया जाए।
- (6) विनियम 7 हटा दिया जाए।
- (7) विनियम 8 को निम्तलिखित ढारा प्रतिस्थापित करते हुए 5 के रूप में पुनः अंकित किया जाए:----
 - "5. ग्रस्थायी कर्मचारियों का स्थायीकरण :
 - (1) इस विनिधम के प्रावधानों क अधीन ऐसा प्रत्येक कर्मवारी स्थायी नियक्ति का पात्न होगा जिसने अपनी परिवीक्षा श्रवधि मफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

- (2) समय-समय पर उवित विभागीय प्रोप्नति समिति से परामर्शं करने के बाद प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे ग्रस्थायी कर्मचारी को उसके प्रविष्टि ग्रेड ग्रथबा पद पर स्थायी घोषित करेगा जिसने अपनी परिवीक्षा ग्रबधि सफलतापूर्वक पूरीकर ली है।"
- (8) विनियम 9, 10 तथा 11 हटा दिए जाएं।
- (9) विनियम 12 को 6 के रूप में पूनः अंकित किया जाए।

सचिव कांडला पोर्ट ट्रस्ट

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 1990

G.S.R. 902(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of Section 124, read with Sub-section (i) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Trust Employees' (Temporary Service) Amendment Regulations, 1990 made by the Board of Trustees for the Port of Kandla and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. PR-12012|24|90-PE.I] ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

SCHEDULE

In pursuance of Section 124 of Major Port Trusts Act, 1963, the Board of Trustees of the Port of Kandla hereby publishes the following amendment regulations made by it in exercise of the powers conferred by Section 28 of the said Act, to the Kandla Port Employees' (Temporary Service) Regulations, 1964, namely

- I. These Regulations may be called the Kandla Port Employees' (Temporary Service) Amendment Regulations, 1990.
- II. Regulations 2(iv) and 2(v) be deleted and Sub-regulations (vi) & (vii) of Regulation 2 be renumbered as (iv) and (v).

- ----

III. Regulations 3 and 4 be deleted.

- IV. (i) The caption "Termination of services of employees not in quasipermanent service" of Regulation 5 be substituted by "Termination of services of Temporary employees."
 - (ii) The words "who is not in quasi-permanent services" appearing under regulation 5(a) be deleted.
 - (iii) Regulation 5 be renumbered as 3.
- V. Regulation 6 be renumbered as 4.
- VI. Delete Regulation 7.
- VII. Regulation 8 be substituted by the following and renumbered as 5 :---
 - "5. Confirmation of temporary employees :
 - (1) Subject to the provisions of this regulation, every temporary employees shall be eligible for a permanent appointment on successful completion of his probation period.
 - (2) Every appointing authority shall, from time to time, after consultation with the appropriate Departmental Promotion Committee, declare a temporary employee who has succe sfully completed the probation period in the entry grade or post as permanent."
- VIII. Regulations 9, 10 and 11 be deleted.
 - IX. Regulation 12 be renumbered as 6.

SECRETARY Kandla Port Trust.

Printed by the Manager, Govt. of India Press Ring Road, New Delhi-110064 and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990